उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-279/2021/1247/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0

लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2021

संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021

का शुद्धि पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों में चयनित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 के क्रमांक-59 पर जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 रामपुरख् खास स्थित बाबा घुइसरनाथ धाम के पर्यटन विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 49.99 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 24.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। परन्तु महानिदेशक, पर्यटन द्वारा पत्रांक-7680/मु0प0सं0यो0(40)/2021 दिनांक 23 मार्च, 2021 के माध्यम से सन्दर्भगत शासनादेश के उक्त पृष्ठांकन के क्रम सं0**-5** पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ़ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

2. अत: उक्त प्रस्ताव क्रम में शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 में उक्त पृष्ठांकन के क्रम सं0**-5** पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ़ के स्थान पर एतदद्वारा संशोधन करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-279/2021/1247/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रतापगढ़।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, प्रयागराज।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in